डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

ठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 127/2024

वादी

1. हेमा राम पुत्र आईदान राम
2. पूरणाराम पुत्र आईदान राम जातियान जाट निवारीगण गौराऊ तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजेन्द्र पुत्र हेमाराम
2. सुरेश पुत्र हेमाराम
3. सन्तोष पुत्री हेमाराम जातियान जाट निवासीगण गौराऊ तसहील जायल
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 से 2 की ओर से श्री गोविन्द राम ढाका, एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोवन्दराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिग्री दी जाती हैं कि :–

1. वादी हेमा राम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजेन्द्र, सुरेश के सह हक बंट कब्जे काश्त में मोजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 258 रकवा 6.3455 हैक्टेयर में से रकबा 3.1727 हैक्टेयर उत्तरी दिशा कि तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 270 रकवा 2.6305 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 274/1 रकवा 1.8616 हैक्टेयर रखे जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 पूरणाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मोजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 258 रकबा 6.3455 हैक्टेयर में से रकबा 3.1728 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा कि तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 273 रकबा 4.4920 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 सन्तोष द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner